

फर्द अहकाम

जागदीश

बनाम मीहनलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 253/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. पालना के अन्तर्गत कार्यवाही करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/12/23 को पेश हो।
	29-12-23	पत्रावली पेश हुई। मकलान द्वारा कानूनी कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 05/2/24 को पेश हो।
	05/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उमप पञ्चरान उपस्थित। वास्तु बहस चुरेजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 06/02/24 को पेश हो।
	06/02/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी सं-21 के अधिवक्ता उपस्थित। उमपपत्र की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं उमपपत्र अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20/07/2023 पर बहस सुनने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर हम पार्टी है कि विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बनाये गये हैं एवं वादी अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित विभाजन

(Signature)

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम मीहनलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 253/2022

क्र	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री करने हेतु सदमति जाद्विर की गई है एवं प्रतिवादीगण मौजे पर उपस्थित थे जिन्हें द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए न्यायद्वित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू.अ. 2023/409 दिनांक 20/07/2023 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जानर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20/7/2023 वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा न. 2 रकबा 1.4668 हैक्टर, खसरा न. 22 रकबा 2.0485 हैक्टर कुल कित 2 कुल रकबा 3.5153 हैक्टर स्थित ग्राम बाढभाजूपुरा प.ह मनौदरपुरा भू.अ.नि. लालगढ तह. बस्सी जी. जयपुर मै से खसरा न. 2/1 रकबा 0.1267 हैक्टर, खसरा न. 22/2 रकबा 0.8194 हैक्टर, खसरा न. 2/3 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा न. 2/5 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल कित 4 कुल रकबा 1.4061 हैक्टर की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र नारायण दि. 1/8 राहिन SBI बस्सी मथुरा पति हनुमानसहाय दि. 1/8 मन्नालाल पुत्र नारायण दि. 1/8 राहिन SBI शाखा बस्सी अनोखी पति सीताराम दि. 1/8</p>	

(Handwritten signature)

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम मीहनलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 253/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम दिनांक आज्ञा संख्या या कार्यवाही

नय : सहायक प्रार्थना पत्र

क आज्ञा कार्यवाही

रादिन SBI बस्सी गणपति पत्नि मन्नालाल
 दि. 1/8 सीता पत्नि जगदीश दि. 1/8 रादिन
 SBI बस्सी सीताराम पुत्र नारायण दि. 1/8
 रादिन SBI बस्सी हनुमानसहाय पुत्र नारायण
 दि. 1/8 रादिन SBI बस्सी समस्त जाति
 हरिणाण ब्राह्मण सा. चक्र भाजुपुरा के हिस्से
 मे रडेगी तथा खसरा न. 2/2 रकबा
 0.4201 हेक्टर, खसरा न. 22/1 रकबा
 1.1691 हेक्टर, खसरा न. 22/3 रकबा
 0.0600 हेक्टर, खसरा न. 2/4 रकबा
 0.23 हेक्टर, खसरा न. 2/6 रकबा 0.23 हेक्टर
 कुल कितो 5 कुल रकबा 2.1092 हेक्टर
 की भूमि खातेदार कलली पत्नि रामू दि. 1/18
 कृष्णा पुत्री रामू दि. 1/18 किशोर पुत्र चन्दा
 दि. 3/50 खेमचन्द पुत्र चन्दा दि. 3/50
 घासी पुत्र चन्दा दि. 3/50 चतक पुत्र चन्दा
 दि. 3/50 जितेन्द्र पुत्र रामू दि. 1/18 प्रेम
 पुत्री रामू दि. 1/18 बंशीधर उर्फ बंशीलाल पुत्र
 किशनलाल दि. 1/18 बाबूलाल पुत्र रामू दि.
 1/18 मोती पुत्र चन्दा दि. 3/50 मीहनलाल
 पुत्र महादेव दि. 1/60 राधेश्याम पुत्र मंगला
 दि. 1/18 रादिन केनरा बेंड शाखा बस्सी
 रामकरण पुत्र मंगला दि. 1/18 रादिन केनरा
 बेंड शाखा बस्सी रामावतार पुत्र किशनलाल
 दि. 1/18 सरस्वती पत्नी महादेव दि. 1/60

दिनांक

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम मोहनलाल

आलय : सहायक कलक्टर, बस्सी

आदेश/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 253/2022

विशेष


दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

सीता पुत्री रामू दि. 1/18 हैमराज पुत्र मंगला
दि. 1/18 हरसदाय पुत्र किशनलाल दि. 1/18
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. चक्रभाजपुरा
के हिस्से में रहेंगी। तहसीलदार बस्सी
उम्मानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करामद
की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन विभाजन
प्रस्ताव व नम्बरी तहसीलदार बस्सी को भेजे
जावे। डिक्री पत्र जारी हो। इस आशय की
तहरीर जारी हो।

पतावली केसल सुमार होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो। पतावली नम्बर
से कम हो।

प्रद निर्णय आज दिनांक 06/02/24
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

मालाल

ने

1/8

रायण

स

इ.प्र.

1/18

हो

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्लदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जगदीश पुत्र नारायण
2. मथुरा पत्नि हनुमान सहाय
3. मन्नालाल पुत्र नारायण
4. अनोखी पत्नि सीताराम
5. गणपति पत्नि मन्नालाल
6. सीता पत्नि जगदीश
7. सीताराम पुत्र नारायण
8. हनुमान सहाय पुत्र नारायण
समस्त जाति हरि. ब्राहमण
निवासी ग्राम चक भाजुपुरा तह.
बस्सी जिला जयपुर।

1. मोहनलाल पुत्र महादेव
2. सरस्वती पत्नि महादेव
3. कल्ली पत्नि रामू
4. कृष्णा पुत्री रामू
5. जितेन्द्र पुत्र रामू
6. प्रेम पुत्री रामू
7. बाबूलाल पुत्र रामू
8. सीता पुत्री रामू
9. किशोर पुत्र चन्दा
10. खेमचन्द पुत्र चन्दा
11. घासी पुत्र चन्दा
12. चतरु पुत्र चन्दा
13. मोती पुत्र चन्दा
14. राधेश्याम पुत्र मंगला
15. रामकरण पुत्र मंगला
16. हेमराज पुत्र मंगला
17. रामावतार पुत्र किशनलाल
18. हरसहाय पुत्र किशनलाल
19. बंशीधर उर्फ बंशीलाल पुत्र
किशनलाल
समस्त जाति हरि. ब्राहमण
निवासी ग्राम चक भाजुपुरा तह.
बस्सी जिला जयपुर।
20. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी
जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी
जिला जयपुर।
22. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा
बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।
23. कैनरा बैंक शाखा बस्सी तह.
बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्ता0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 253/2022

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 2 रकबा 1.4668 है., ख.नं. 22 रकबा 2.0485 है., कुल किता 2 कुल रकबा 3.5153 है. स्थित ग्राम बाढ भाजुपुरा प. ह. मनोहरपुरा भू.अ.नि. लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 2/1

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

रकबा 0.1267 है., ख.नं. 22/2 रकबा 0.8194 है., ख.नं. 2/3 रकबा 0.2300 है. ख.नं. 2/5 रकबा 0.2300 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.4061 है. की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र नारायण हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. बस्सी मथुरा पत्नि हनुमान सहाय हि. 1/8 मन्नालाल पुत्र नारायण हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. शाखा बस्सी अनोखी पत्नि सीताराम हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. बस्सी गणपति पत्नि मन्नालाल हि. 1/8 सीता पत्नि जगदीश हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. बस्सी सीताराम पुत्र नारायण हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. हनुमान सहाय पुत्र नारायण हि. 1/8 राहिन एस.बी.आई. बस्सी समस्त जाति हरि. ब्राहमण सा. चक भाजुपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 2/2 रकबा 0.4201 है., ख.नं. 22/1 रकबा 1.1691 है., ख.नं. 22/3 रकबा 0.0600 है., ख.नं. 2/4 रकबा 0.23 है., ख.नं. 2/6 रकबा 0.23 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.1092 है. की भूमि खातेदार कल्ली पत्नि रामू हि. 1/18 कृष्णा पुत्री रामू हि. 1/18 किशोर पुत्र चन्दा हि. 3/50 खेमचन्द पुत्र चन्दा हि. 3/50 घासी पुत्र चन्दा हि. 3/50 चतरु पुत्र चन्दा हि. 3/50 जितेन्द्र पुत्र रामू हि. 1/18 प्रेम पुत्री रामू हि. 1/18 बंशीधर उर्फ बंशीलाल पुत्र किशनलाल हि. 1/18 बाबूलाल पुत्र रामू हि. 1/18 मोती पुत्र चन्दा हि. 3/50 मोहनलाल पुत्र महादेव हि. 1/60 राधेश्याम पुत्र मंगला हि. 1/18 राहिन केनरा बैंक शाखा बस्सी रामकरण पुत्र मंगला हि. 1/18 राहिन केनरा बैंक शाखा बस्सी रामावतार पुत्र किशनलाल हि. 1/18 सरस्वती पत्नि महादेव हि. 1/60 सीता पुत्री रामू हि. 1/18 हेमराज पुत्र मंगला हि. 1/18 हरसहाय पुत्र किशनलाल हि. 1/18 समस्त जाति हरि. ब्राहमण सा. चक भाजुपुरा के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.02.2024 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....*mnj*.....

ओहदा.....

वृद्धई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्की के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

mnj
सहायक कलेक्टर
बस्सी, जयपुर ग्रामीण